# कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला महासमुन्द छत्तीसगढ़

कलेक्ट्रोरेट परिसर, प्रथम तल, खनिज शाखा महासमुन्द, छ0ग0 ई–मेल आईडी– miningmahasamund@gmail.com

क्रमांक 1574 /क/स्था./डी.एम.एफ.टी/न.क /2017 महासमुन्द, दिनांक 01/09/2018

## / /विज्ञापन/ /

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र कमांक एफ -7-34/2016/XII नया रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2017 में दिए गये पद स्वीकृति अनुसार जिला खनिज संस्थान न्यास (DMFT) महासमुन्द अन्तर्गत जिला महासमुन्द में संविदा भर्ती के अधोवर्णित पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवदेन पत्र कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला महासमुन्द में दिनांक 15/09/2018 तक कार्यालयीन समय पर केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से स्वीकार किया जावेगा। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

| क्र. | पद का नाम | कुल पद संख्या | अनुसूचित जाति | | | | | अनुसूचित जनजाति | | | | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | | | | अनारक्षित | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | म. | वि. | भू.पू. सैनिक | मुक्त | योग | म. | वि. | भू.पू. सैनिक | मुक्त | योग | म. | वि. | भू.पू. सैनिक | मुक्त | योग | म. | वि. | भू.पू. सैनिक | मुक्त | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | लेखापाल | 01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 | 01 |
| 2 | सहायक ग्रेड 03 | 01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | | | 01 | 01 |
| 3 | भृत्य | 01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01 | 01 |

**शैक्षणिक योग्यता :–**

01. लेखापाल :–

(1) शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त लेखापाल एवं सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड–एक (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) को संविदा पर लिया जा सकेगा।

(2) पांच वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

**02. सहायक ग्रेड –03**

(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा ।

03. भृत्य :–

(1) मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

**टीप – विज्ञापित पद क्रमांक 02 हेतु कम्प्यूटर प्रमाण पत्र के लिए निम्नांकित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे :–**

(1) मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट।

(2) मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेकनीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साइंस/ इन्फारमेशन टेक्नालॉजी/माडर्न आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)।

(3) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साइंस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।

(4) DOEACC Society New Delhi द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

भर्ती की प्रकिया :–

01. आवेदन पत्रों का शार्ट लिस्टिंग कर प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में दावा–आपत्ति आमंत्रित की जावेंगी।
02. पात्र आवेदन पत्रों का सूक्ष्म जांच की जाकर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। जो विज्ञापित पदो के 10 गुना होगी।
03. **विज्ञापित पद क्रमांक 02** हेतु पात्र उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, उनके कौशल परीक्षा में अनुपस्थिति की दशा में उन्हें अपात्र माना जाएगा ।
04. **विज्ञापित पद क्रमांक** 03 हेतु पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति न्यूनतम आर्हता में उत्तीर्ण मेरिट के आधार पर होगें।
05. मूल प्रमाण–पत्रों की जांच उपरांत अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
06. चयनित अभ्यर्थी के साथ 03 अभ्यर्थी की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो कि एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
07. मूल प्रमाण पत्रों का जांच उपरांत योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

अन्य शर्ते :–

01. उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भत्ता, इत्यादि देय नही होगा।
02. **संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापित पद क्रमांक 01 हेतु आवेदकों का आयु का बंधन नही है।**
03. **संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापित पद क्रमांक 02 एवं 03 हेतु आवेदक की आयु दिनांक 01/01/2018 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अजा/अजजा/अपिर्व एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेश के अनुरूप आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।**
04. नियुक्तिकर्त्ता के द्वारा पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। उक्त पदो के लिए शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
05. संविदा नियुक्ति छ0ग0 शासन द्वारा जारी संविदा नियम–2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेंगी।
06. **संविदा नियुक्ति सामान्यतः तीन वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्ता का आंकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।**
07. संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना कारण बताये कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
08. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्यात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन उपक्रम या मृत्यु लाभ कर्मचारी की पात्रता नहीं होगी।
09. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
11. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा एवं नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा साथ ही छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 में नियुक्ति के लिए अनर्हताएं भी लागू होगी।
12. शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा नीजी संस्थानों में कार्यरत् कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओ के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
13. शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो निर्देश जारी किया जाता है तो इस विज्ञप्ति में लागू होगा।
14. अजा/अजजा/अपिव के आवेदकों को जाति की पुष्टि में प्राधिकृत अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के आवेदकों का जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति से सत्यापन होना अनिवार्य होगा।

पृ0 क्र0 1576/A/क/स्था./डी.एम.एफ.टी/न.क /2017 महासमुन्द, दिनांक 01/09/2018

प्रतिलिपि,

01. व्यवस्थापक, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव, छ0ग0. शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन , नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
02. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छ0ग0 इन्द्रावती भवन, खण्ड-04 प्रथम एवं द्वितीय तल, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला महासमुन्द की ओर एक प्रति के साथ प्रेषित है। जिले के शासकीय वेबसाईट में अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।
05. सहायक संचालक, जनसर्म्पक विभाग, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
06. जिला नाजिर कलेक्ट्रेट महासमुन्द को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना की प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा करने का कष्ट करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
एवं सदस्य सचिव
जिला खनिज संस्थान न्यास महासमुन्द (छ0ग0)